2015 का विधेयक संख्यांक 30

[दि होम्योपैथी सेन्ट्रल काउन्सिल (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2015 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 12क का संशोधन ।

1973 का 59

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 12क में,--

(अ) उपधारा (1) के खंड (ख) में,--

10 (क) उपखंड (ii) के अंत में, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश नहीं देगा";

(ग) उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु उपखंड (iii) के अधीन विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश देने की पूर्व अनुज्ञा, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए अभिप्राप्त की जा सकेगी ।";

(आ) उपधारा (7) में, खंड (क) से खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) क्या प्रस्थापित चिकित्सा संस्था या विद्यमान चिकित्सा संस्था, जो अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) प्रारंभ करना चाहती है या अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहती है या अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश देना चाहती है, इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक पूरा करने की स्थिति में है ;

(ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो चिकित्सा संस्था स्थापित करना चाहता है या विद्यमान चिकित्सा संस्था के पास, जो अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) प्रारंभ करना चाहती है या अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहती है या अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में नए विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहती है, इस अधिनियम के अधीन पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;

(ग) क्या चिकित्सा संस्था का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने अथवा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) का संचालन करने या अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाने अथवा अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश देने के लिए अपने कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल से संबंधित आवश्यक सुविधाएं और अन्य सुविधाएं, स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर दे दी गई हैं या दे दी जाएंगी ;" ।

धारा 12ख का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 12ख की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(4) जहां कोई चिकित्सा संस्था, धारा 12क के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में विद्यार्थियों के नए बैच को प्रवेश देती है, वहां ऐसी चिकित्सा संस्था द्वारा किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं मानी जाएगी ।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) में होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों के विनियमन के लिए, होम्योपैथी के व्यवसायियों का केन्द्रीय रजिस्टर रखने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध हैं ।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 को अवमानक महाविद्यालयों में वृद्धि की रोकथाम, प्रवेश क्षमता बढ़ाने और ऐसे महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था । नए महाविद्यालयों की स्थापना या अध्ययन के नए पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा आज्ञापक है । तथापि, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम का विद्यमान उपबंध, केन्द्रीय सरकार को ऐसे महाविद्यालयों में, जो उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, प्रवेश बंद करने के लिए समर्थ नहीं बनाते हैं । इस कारण से होम्योपैथी शिक्षा की क्वालिटी में कमी आ गई है ।

3. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015, निम्नलिखित के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिए है,--

(क) सभी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अंतर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) में विद्यार्थियों के नए बैचों को प्रवेश देने हेतु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए उपबंध करना ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोक्त अनुज्ञा का उपबंध करना ;

प्रस्तावित संशोधन से होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बेहतर चिकित्सा परिचर्या करने वाली होम्योपैथी शिक्षा की क्वालिटी सुनिश्चित होगी ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
22 अप्रैल, 2015

श्रीपाद नाईक

उपाबंध

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्यांक 59) से उद्धरण

* * * * * * *

अध्याय 2क

नई चिकित्सा संस्था की स्थापना, नए अध्ययन पाठ्यक्रम, आदि के लिए अनुज्ञा ।

12क. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबधों के अनुसार अभिप्राप्त की गई केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा सिवाय,--

* * * * * * *

(ख) कोई होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय,--

* * * * * * *

(ii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (जिसके अन्तर्गत अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी है) की अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा ।

* * * * * * *

(7) केन्द्रीय परिषध्, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय और केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करते समय, निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगी, अर्थात् :--

(क) क्या प्रस्थापित चिकित्सा संस्था या विद्यमान चिकित्सा संस्था जो अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहती है, धारा 20 के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथाविहित चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक प्रस्थापित करने की स्थिति में होगी ;

(ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो चिकित्सा संस्था स्थापित करना चाहता है या विद्यमान चिकित्सा संस्था के पास जो अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहती है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, पर्याप्त वित्तीय संधान हैं ;

(ग) क्या चिकित्सा संस्था के उचित कार्यकरण अथवा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम का संचालन अथवा बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाओं का उपबंध किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा ;

* * * * * * *

GMGIPMRND—822RS(CRC)—1-5-2015.